जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
सह–अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गुमला
आदेश–फलक
(देखें अभिलेख हस्तक 1942 का नियम 129)

जानकी देवी
ग्राम–कोब्जा, लकराकोना
रायडीह
बनाम
श्री जगदीश उरांव,
जन वितरण प्रणाली दुकानदार
अनुज्ञप्ति संख्या– 01/89

आदेश फलक तारीख......01......से......02......तक। जिला गुमला
वाद सं0– 13 / 2018–19
वाद का प्रकार–विविध (Miscellaneous)

आदेश

जन वितरण प्रणाली योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, में प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के बाबत जानकी देवी, ग्राम–कोब्जा लकराकोना, थाना–रायडीह, जिला गुमला के द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त है। जिसमें उन्होंने श्री जगदीश उरांव जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा माह–जनवरी, 2019 से अप्रील, 2019 तक राशन नहीं दिये जाने संबंधी शिकायत की है।

आवेदक द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, के तहत वाद प्रारम्भ की गई। तथा परिवादी श्री जगदीश उरांव, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, ग्राम–कोब्जा लकराकोना, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत की गई एवं अंचलाधिकारी रायडीह से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। मामले के निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला, अंचल अधिकारी रायडीह एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार को निर्गत पत्र का विवरणः–
दिनांक 16.08.2019, 917 / रा0, दिनांक 16.08.2019, 1014 / रा0, दिनांक
पत्रांक–915 / रा0, दिनांक 16.08.2019, 916 / रा0, दिनांक 04.09.2019, 1072 / रा0, दिनांक 13.09.2019,
04.09.2019,1015 / रा0, दिनांक 04.09.2019, 1016 / रा0, दिनांक 01.10.2019, 1207 / रा0, दिनांक
1173 / रा0, दिनांक 01.10.2019, 1174 / रा0, दिनांक 01.10.2019, 1075 / रा0, दिनांक
09.10.2019, 1240 / रा0, दिनांक 16.10.2019, 1328 / रा0, दिनांक 16.10.2019

नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त परिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। जगदीश उरांव जन वितरण प्रणाली दुकानदार ने अपने लिखित बयान में अंकित किया है कि श्रीमती जानकी देवी, ग्राम–कोब्जा लकराकोना, के द्वारा राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है जो गलत है। श्रीमती जानकी देवी के नाम से एक राशन कार्ड है जिनके पति का नाम डुलूधर सिंह अंकित है, जबकि शिकायतकर्त्ता के पति का वास्तव नाम मंगल राम है। जानकी देवी पति डुलूधर सिंह प्रति माह खाद्यान्न एवं किरोसिन तेल का उठाव करती है। पुनः उनके द्वारा अंकित किया गया कि जानकी देवी पति मंगल राम राशन कार्ड संख्या से 202004179321 को रजिस्टर में वितरण किया गया, उसके बाद E. POS मशीन में

राशन कार्ड दर्ज नहीं रहने के कारण खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाया।

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला के माध्यम से प्राप्त प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला के जांच प्रतिवेदन में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्त्ता द्वारा संलग्न राशन कार्ड नं0–20200479321 वर्त्तमान में ऑनलाईन में प्रदर्शित नहीं है। इस संबंध में जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा बताया गया कि जानकी देवी पति मंगल राम राशन कार्ड नं0–202004179321 वर्ष 2016 से E. POS मशीन में दर्ज नहीं हुआ था। जिसके कारण उन्हें E. POS मशीन से कभी भी खाद्यान्न आपूर्त्ति नहीं हुआ है। राशन कार्ड में जनवरी, 2019 से अप्रील, 2019 तक सामान आपूर्त्ति भी ऑनलाईन में प्रदर्शित ईन्द्राज नहीं पाया गया । पूर्व माह में जानकी देवी पति मंगल राम द्वारा नया राशन कार्ड बनाने हेतु ऑनलाईन आवेदन सं–3660123816 दिया गया था जिसका नया राशन कार्ड नं–202007246221 बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन दिग्भ्रमित करने वाला एवं भ्रमात्मक प्रतीत होने के फलरूवरूप E. POS मशीन में ईन्द्राज हेतु जिम्मेदार पदाधकारी एवं संबंधित को नामित करने हेतु जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी गुमला को पत्र दिया गया।

पत्र का जबाब देते हुए जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला ने अपने पत्रांक 85(ii) दिनांक 11.02.2020 द्वारा प्रतिवेदत किया है कि श्रीमती जानकी देवी पति श्री मंगल राम ग्राम–कोब्जा लकराकोना, थाना–रायडीह, जिला गुमला को पूर्व में राशन कार्ड संख्या 202004179321 निर्गत किया गया था। संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा जानकी देवी को राशन कार्ड नं0–202004179321 पर जुलाई 2016 तक राशन दिया गया। वर्ष 2016 का यह राशन कार्ड कतिपय कारणों (यथा छः माह तक राशन उठाव नहीं करना आधार प्रविष्टि नहीं होने का कारण E. POS मशीन से वितरण नहीं होना एवं स्वयं आवेदन समर्पित करना इत्यादि) से राशन कार्ड निरस्त हो गया। इस प्रकार श्रीमती जानकी देवी द्वारा वर्ष 2018–19 में राशन का उठाव E. POS मशीन द्वारा नहीं किया गया। उनके द्वारा समर्पित राशन कार्ड की छाया प्रति में दर्ज वितरण का ईन्द्राज संदेहास्पद है।

राशन कार्ड रद्द होने के कारण जानकी देवी के द्वारा 30.01.2018 को नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाईन आवेदन दिया गया, जिसे 06.04.2018 को बी0एस0ओ0 द्वारा सत्यापित किया गया एवं 21.09.2018 को स्वीकृत किया गया, तथा नया राशन कार्ड नं0–202007246278 निर्गत किया गया। नये राशन कार्ड पर इन्हें माह अक्टूबर, 2019 से नियमित राशन दिया जा रहा है। ऑनलाईन राशन कार्ड निर्गत होने की तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता का राशन कार्ड रद्द हो गया था, और इस संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नही दर्ज कराई गई। ऑनलाईन राशन कार्ड निर्गत होने की तिथि से शिकायतकर्ता को नियमित राशन की आपूर्ति हो रही है, इसलिए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

जिला शिकायत निवारण
पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, गुमला।